न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्रीमती वीणा प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./95/21/अजमेर (2021/95)

विभागीय अपील द्वारा श्री सुभाष रोलन पटवारी बाडी तहसील बिजयनगर, कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक आदेश क्रमांक कअ./भू.अ./विजां/20/123 दिनांक 07.10.2020 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः— श्री सुभाष रोलन पटवारी बाडी तहसील बिजयनगर, कार्यवाहक भू. अ.निरीक्षक बिजयनगर तहसील बिजयनगर जिला अजमेर

निर्णय

दिनांकः—

प्रकरण में अपचारी कार्मिक ने पूर्व में जिला कलक्टर, अजमेर के दण्डादेश दिनांक 16.02.2018 जिसके द्वारा सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया था, के विरूद्ध विभागीय अपील सं0 98/2018 अजमेर (2018/00098) प्रस्तुत की गई थी जिसमें तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 16—2—2018 को निरस्त कर जिला कलक्टर अजमेर को प्रकरण प्रतिप्रेषित इस निर्देश के साथ किया गया था कि वे सम्पूर्ण प्रकरण में अपीलार्थी पर आयत आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी मसूदा के वाद संख्या 122/04 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट जो विड्रो के आधार पर ड्राप हुआ एवं वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद समझौता ड्राप हुआ के आलोक में नये सिरे से पुनः जांच कर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की अनुपालना में जिला कलक्टर अजमेर ने पुनः सुनवाई कर प्रकरण में आदेश क्रमांक कअ./भू.अ./विजां/20/123 दिनांक 07.10.2020 से अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16

के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 07.10.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच में निम्न 03 आरोप लगाये गये:–

<u>आरोप संख्या– 1</u>

आप वर्तमान में भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर के अवकाश पर रहने से कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर का कार्य दिनांक 20–4–2015 से सम्पादित कर रहे है। प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प बरल–॥ में दिनांक 18–12–2001 को प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश क्रमांक प्र.शा.गांवो के संग /2001/01/692 दिनांक 18–12–2001 के क्रम में तहसीलदार मसूदा के आदेश क्रमांक केम्प/2001/568 दिनांक 19–12–2001 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को तत्कालीन पटवारी ग्राम बरल–॥ ने दर्ज किया गया तथा दिनांक 22–12–2001 को तत्कालीन भू.अ. निरीक्षक द्वारा जांच की जाकर अंकन सही होने की टिप्पणी अंकित की गई। दिनांक 28–12–2001 को तत्कालीन नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा नोट अंकित किया कि ''नामान्तरकरण 913 दिनांक 17–8–2001 से उक्त खसरा रकबा 2–15–05 भूमि स्थानीय निकाय नगर पालिका बिजयनगर के नाम दर्ज हो चुकी है अब वापस इस भूमि को खातेदारी में किस प्रकार दर्ज किया जा सकता है, निर्देश प्राप्त करे।'' यह नोट अंकित होने के पश्चात नामान्तरकरण आज दिनांक तक पेंडिग चल रहा है, जैसा संलग्न आरोप विवरण पत्र से स्पष्ट है। इतने दिनों तक नामान्तरकरण पेंडिग होने के बावजूद भी पुनः नवीन नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज विक्रय से गोकल सोरता के बजाय विश्राम सम्पत पि. देवी कौम भील सुमित्रा साना उर्फ शांति पुत्री देवी भील के नाम पटवारी बरल–॥ द्वारा दर्ज किया गया, की जांच का कार्य किया गया। इस प्रकार पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को निस्तारित किये बिना ही नवीन नामान्तरकरण की जांच कर नियमों की अवहेलना की है। आपका यह कृत्य राजकार्य के प्रति लापरवाही करने का परिचायक है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 2

उक्त नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 पेंडिग होते हुए भी विश्राम पुत्र देवी भील द्वारा दिनांक 4–4–2015 को विक्रय पत्र दिनांक 21–5–1993 के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार, बिजयनगर ने दिनांक 4–5–2015 को पटवारी बरल–II को नियमानुसार जांच कर कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। पटवारी बरल–II द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2373 दर्ज किया जिसमें आप द्वारा 5–5–2015 को जांच की तथा सरपंच ग्राम पंचायत बरल–II द्वारा दिनांक 5–5–2015 को ही नामान्तरकरण निर्णित किया गया। आपका उक्त कृत्य जानबूझकर प्रकरण में वर्ष 2001 के नामान्तरकरण की स्थिति ज्ञात होते हुए भी बिना परीक्षण किये ही एवं रोकने की कार्यवाही नहीं करते हुए दर्ज नामान्तरकरण की जांच करना एवं इन तथ्यों का अपनी जांच में उल्लेख नहीं करना आपकी भूमिका की संदिग्धता को स्पष्ट करता है। आपका यह कृत्य नियमों के विपरीत राजकार्य करने का परिचायक है जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

आरोप संख्या– 3

माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय से प्राप्त श्री पोलू भील की शिकायत के संबंध में तहसीलदार, बिजयनगर को जिला कार्यालय के पत्रांक कअ/राजस्व/15/8171 दिनांक 3–6–2015 एवं पत्रांक कअ/राजस्व/15/8244 दिनांक 5–6–2015 द्वारा अभिलेख चाहा गया था एवं निर्देशित किया गया था कि नामान्तरकरण संख्या 976 से संबंधित नामान्तरकरण की मूल जिल्द एवं नामान्तरकरण संख्या 2373 दिनांक 5–5–2015 जो कि ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया, विक्रय पत्र दिनांक 26–5–1993 की मूल प्रतियां प्रस्तुत की जावे। किन्तु आप द्वारा बार–बार निर्देशित किये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक उक्त मूल अभिलेख संबंधित पटवारी से प्राप्त कर नहीं भिजवाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि आप द्वारा उक्त कृत्य प्रकरण में संलिप्तता रखते है। आपका यह कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना एवं राजकार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने का परिचायक है, जिसके लिए आप उत्तरदायी है।

जिला कलक्टर, अजमेर ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 16–2–2018 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में आरोप सं0 1 व 2 सिद्ध होने तथा आरोप सं0 3 सिद्ध नहीं होने के आधार पर दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के

अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश के विरूद्ध तत्कालीन संभागीय आयुक्त अजमेर के समक्ष विभागीय अपील सं0 98/2018 प्रस्तुत की गई थी जिसमे निर्णय दिनांक 25.10.2019 से अपीलार्थी की अपील तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–2–2018 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश प्रदान किये गये थे कि वे सम्पूर्ण प्रकरण में अपीलार्थी पर आयत आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी मसूदा के वाद संख्या 122/04 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट जो विड्रो के आधार पर ड्राप हुआ एवं वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद समझौता ड्राप हुआ के आलोक में नये सिरे से पुनः जांच कर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की अनुपालना में जिला कलक्टर अजमेर ने पुनः सुनवाई कर प्रकरण में आदेश दिनांक 07.10. 2020 से अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, अजमेर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपचारी कार्मिक द्वारा प्रस्तुत विभागीय अपील दर्ज कर जिला कलक्टर अजमेर से अपील पर टिप्पणी व मूल पत्रावली प्राप्त की गई व अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुना गया।

अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अपचारी कार्मिक पटवारी पद पर पटवार मण्डल बाडी, तहसील बिजयनगर में तैनात था तब तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर के दिनांक 20–4–2015 से 10–5–2015 तक मात्र कुल 21 दिन अवकाश पर रहने के दौरान अपीलार्थी द्वारा भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर का अस्थाई कार्य किया गया था। अपचारी कार्मिक पटवार मण्डल बरल पर कभी भी नियुक्त नहीं रहा है और ना ही पटवार मण्डल बिजयनगर के लोगों से सम्पर्क रहा था। अनुशासनात्मक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश बिना गवाह, सबूत केवल मात्र कयास के आधार पर अपीलार्थी पर आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध होना मानकर दण्डित किया गया है जो बिना साक्ष्य सबूत के होने व कयास के आधार पर होने से निरस्तनीय है।

अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 1 के संबंध में कथन किया कि नामान्तरकरण पटवार हलका बरल के द्वारा 2373

दिनांक 5–5–2015 दाखिल किया गया उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हलका द्वारा पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 के पेंडिग होने का हवाला नहीं दिया गया है। नामान्तरकरण संख्या 976 से 2373 के बीच में 1397 नामान्तरकरण दर्ज हुए एवं करीब नामान्तरकरण की 14 जिल्दों के पूर्व नामान्तरकरण संख्या 976 अंकित है। जमाबंदी संबंधित खाते के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि कहीं पर भी पूर्व में दाखिल नामान्तरकरण संख्या 976 का उल्लेख नहीं किया गया है कि पूर्व में दाखिल नामान्तरकरण संख्या 976 पेंडिग है। मेरे द्वारा जांच में अंकन नामान्तरकरण पर टिप्पणी अंकित की गई कि मुताबिक जमाबंदी अंकन सही है जो मुताबिक रेकार्ड के अनुसार की गई है। इस संबंध में दिनांक 28–12–2001 को तत्कालीन नायब तहसीलदार के द्वारा वक्त फैसल नामान्तरकरण के नामान्तरकरण संख्या 976 को निस्तारित नहीं करने का नोट अंकित किया एवं दिनांक 28–12–2001 से 15 वर्ष तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। तत्कालीन कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाकर उनका दोष मेरे पर लगाया गया है जो उचित नहीं है। केवल मात्र रूटिन कार्य के साथ दुर्भाग्यवश Unfortnately है। मेरे द्वारा किसी तरह की अविधिक व गैर कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपचारी कार्मिक पर आरोपित आरोप बिना तथ्यों की जानकारी के आधार पर लगाये जाने से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोप संख्या 2 के संबंध में कथन किया कि नामान्तरकरण का अन्तराल करीब 1400 एवं 14 जिल्द पुराना है, पटवारी हलका के द्वारा न तो जमाबंदी खाते में विशेष विवरण नामान्तरकरण 976 की पेंडेसी अथवा नवीन नामान्तरकरण दाखिल 2373 में इस संबंध में किसी तरह की रिपोर्ट अंकित नहीं की है एवं न ही मेरे द्वारा जांच के समय ही नामान्तरकरण की पेंडेंसी के बारे में मुझे बताया गया है। जो नामान्तरकरण व जमाबंदी के अवलोकन से पूर्ण स्पष्ट है। अपीलार्थी का हलका बाड़ी–बरल से दूर है ग्राम बरल एवं उसके रेकार्ड का पूर्व में कभी भी मेरा वास्ता नहीं रहा है। केवल अल्वअवधि 21 दिन तत्कालीन भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर के अवकाश के दौरान कार्यवाहक भू.अ.निरीक्षक का कार्य किया था। मेरे द्वारा कभी भी किसी तरह की लापरवाही व नियम विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई है और न ही आज तक मुझे किसी तरह कार्य के प्रति लापरवाही या अन्य कोई गफलत, गबन बाबत कोई नोटिस आदि ही मिला है, मेरा पूरा सेवाकाल निर्दोष रहा है। अतः अपीलाट की अपील स्वीकार कर अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 7–10–2020 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, अजमेर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 4987 दिनांक 18–6–21 से अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में अपचारी कर्मचारी की अपील संख्या 98/18 श्री सुभाष रोलन पटवारी बाडी तहसील बिजयनगर जिला अजमेर में दिनांक 25–10–2019 को निर्णय पारित करते हुए आदेश पारित किया गया कि उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16–2–2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि सम्पूर्ण प्रकरण में अपीलार्थी पर आयत आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी मसूदा के वाद संख्या 122/04 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट जो विड्रो के आधार पर ड्राप हुआ एवं वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद में समझौता ड्राप हुआ के आलोक में नये सिरे से पुनः जांच कर अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की पालना में अपचारी कर्मचाी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य एवं मौखिक कथनों पर विचार किया जाकर एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिये गये है। जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट में कार्मिक पर स्थापित आरोप में से आरोप संख्या 1 व 2 सिद्ध होना पाया जाता है एवं आरोप संख्या 3 सिद्ध नहीं होना पाया जाता है। अपचारी कार्मिक को व्यक्तिगत सुनवाई उपरान्त दोषी पाये जाने पर उसे नियमानुसार दण्डित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों पर समान अपील पेश की गई है जो कि विधि अनुसार पोषनीय नहीं है। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कार्मिक को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि अनुशासनिक अधिकारी जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थी को नामान्तरकरण भरने, जांच करने, फैसल कराना सभी कार्यो के लिए बिना किसी समुचित आधार के दोषी मानते हुए एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है अपचारी कार्मिक पटवारी पद पर पटवार मण्डल बाडी तहसील बिजयनगर में पदस्थापित था तब भू.अ.निरीक्षक बिजयनगर के अवकाश पर रहने के दौरान अपचारी कार्मिक को अस्थाई रूप से भू.अ.निरीक्षक के कार्य हेतु लगाया गया था। अपचारी कर्मचारी द्वारा केवल कार्यवाहक भू.अ. निरीक्षक के रूप में मात्र 21 दिन की अल्पावधि में कार्य किया था जबकि नामान्तरकरण संख्या 976 दिनांक 21–12–2001 को ही तत्कालीन पटवारी के द्वारा भरा गया था। नामान्तरकरण की जिल्दों में नामान्तरकरण संख्या 976 लम्बित है इसका उल्लेख तत्कालीन पटवारी द्वारा जमाबंदी में कहीं पर भी नहीं किया गया था जिससे यह जानकारी हो सके कि उक्त नामान्तरकरण लम्बित चल रहा है। पटवारी हलका द्वारा न तो जमाबंदी खाते के विशेष विवरण में नामान्तरकरण के लम्बित होने व नवीन नामान्तरकरण दाखिल 2373 में इस बाबत किसी तरह की रिपोर्ट अंकित नहीं की एवं न ही अपचारी कार्मिक को नामान्तरकरण की जांच के दौरान नामान्तरकरण के लम्बित होने के बारे में कोई जानकारी पटवारी हलका द्वारा नहीं दी गई। अतः ऐसी स्थिति में अपचारी कार्मिक की कोई दुर्भावना प्रतीत नहीं होती है।

पूर्व में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 25–10–2019 में अपीलीय अधिकारी तत्कालीन संभागीय आयुक्त द्वारा दिये गये थे कि ''अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–2–2018 निरस्त किया जाता है और प्रकरण जिला कलक्टर, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सम्पूर्ण प्रकरण में अपीलार्थी पर आयत आरोपों की जांच उपखण्ड अधिकारी मसूदा के वाद संख्या 122/04 पोलू बनाम रमेश अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी.एक्ट जो विड्रो के आधार पर ड्राप हुआ एवं वाद संख्या 34/2014 अन्तर्गत धारा 136 जो बाद समझौता ड्राप हुआ के आलोक में **नये सिरे से पुनः जांच कर** अपचारी कर्मचारी को पुनः सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।'' किन्तु जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा उक्त आदेशों की मंशा के अनुरूप अक्षरशः पालना नहीं की गई है और नये सिरे से प्रकरण में कोई जांच नहीं की गई है और न ही बयान आदि लिये गये अपितु पुरानी जांच को ही आधार मानकर दण्डादेश दिनांक 7–10–2020 पारित किया गया है जो कि विधिक प्रकिया का हनन है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के ही विपरीत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है। कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने एक परिपत्र संख्या भू.अ./ई–3/296 दिनांक 15–3–2004 जारी कर पटवारी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण के बारे में दिशा निर्देश जारी किये है तथा पटवारी को नामान्तरकरण खोलने के मामलें में प्रोटेक्शन दिया गया हैं इस परिपत्र में स्पष्ट

किया गया है कि पटवारियों के विरूद्ध नामान्तरकरण कार्यवाही में बिना औचित्य के विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी जाती है जिससे पटवारियों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है साथ ही सरकारी कार्य के निष्पादन के दौरान भी पटवारियों का उत्पीड़न होता रहता है। राजस्व मण्डल में इस बाबत स्पष्ट निर्देश दिये है कि यदि पटवारी ने अपने स्तर से नियमानुसार सभी तथ्यों की पूर्ण जांच करते हुए नामान्तरकरण सही भरा है तो आगे की अनियमितता के लिए उन्हें दण्डित नहीं किया जा सकता है एव ंना ही उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है। परिपत्र में यह भी अंकित किया गया है कि पटवारी राज्य सेवक की हैसियत से कर्तव्यों का निर्वहन करता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपचारी कार्मिक मूल रूप से पटवारी था तथा उसे केवल अवकाशकाल के दौरान अस्थाई तौर पर भू.अ. निरीक्षक का कार्य संधारित करने हेतु लगाया गया था।

अपचारी कार्मिक को नियम 16 के तहत कार्यवाही करते हुए वृहत दण्ड से दण्डित किया गया है जबकि नियम 16 के तहत कार्यवाही केवल रिकार्ड में हेराफेरी, गम्भीर दुराचरण तथा रिश्वत के मामले में ही की जाती है। अपचारी कार्मिक को उक्त नामान्तरकरण के लम्बित रहने की जानकारी तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रदान नहीं की गई तथा न ही जमाबंदी में उक्त नामान्तरकरण के लम्बित रहने का कोई उल्लेख किया गया था जो नामान्तरकरण व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है और इसके लिए उसे वृहत दण्ड से दण्डित किया जाना किसी भी प्रकार से उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण और अपील) नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 7–10–2020 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक कअ./भू.अ./विजां/20/123 दिनांक 7–10–2020 विधिसम्मत नहीं होने से तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण अपास्त किया जाता है। अपचारी कार्मिक श्री सुभाष रोलन पटवारी बिजयनगर को भी भविष्य में सावधानीपूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावें।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर